



208849 - उस महिला को कहाँ इद्त बिताना चाहिए जिसके पति की मृत्यु हो गई, जबकि उसने उसके साथ विवाह का अनुबंध किया था लेकिन अभी तक उसके साथ एकांत में नहीं हुआ था?

प्रश्न

एक महिला है, जिसका पति उसके साथ शादी का अनुबंध करने के बाद और उसके साथ एकांत में होने से पहले मर गया। तो क्या वह अपने परिवार के घर में इद्त (प्रतीक्षा अवधि) बिताएगी, जहाँ वह रहती है? या उसे अपने पति के घर जाना चाहिए? ज्ञात रहे कि वह उससे पहले वहाँ नहीं रही है, जबकि उसके पति के परिवार ने उसे बिना किसी आपत्ति के अपने यहाँ इद्त की अवधि बिताने के लिए पेशकश की है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

“वह महिला, जिसका पति उसके साथ शादी का अनुबंध करने के बाद और उसके साथ एकांत में होने से पहले मर गया है, वह अन्य पत्नियों के हुक्म है। इसलिए वह पूर्ण महर की हकदार है तथा उसे विरासत में भी हिस्सा मिलेगा, और उसपर इद्त बिताना अनिवार्य है; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका फैसला किया है। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि : “उनसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा गया, जिसने एक महिला से शादी की और उसका महर निर्धारित नहीं किया और उसके साथ एकांत में नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा : “वह अपने परिवार की महिलाओं के समान महर की हकदार है, न उससे कम न अधिक, तथा उसपर इद्त बिताना अनिवार्य है, और वह विरासत की हकदार है।” इसपर माक़िल बिन सिनान अल-अशजई ने खड़े होकर कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारे बीच की एक महिला ‘बिर्-वअ बिनत वाशिक़’ के बारे में इसी तरह फैसला किया था, जो आपने फैसला किया है। तो इसपर इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए।” इसे इमाम अहमद और चार इमामों (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माज़ह) ने रिवायत किया है, तथा तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है और विद्वानों के एक समूह ने इसे हसन कहा है।”

“फ़तावा अल-लज्जह अद-दाईमह” (20/412) से उद्धरण समाप्त हुआ।

उसकी इद्त चार महीना और दस दिन है।



दूसरी बात :

वह महिला जिसका पति उसके साथ एकांत में होने से पहले ही मर गया है, अपने परिवार के घर में इद्त बिताएगी, न कि अपने पति के घर में। क्योंकि यही वह घर है जिसमें वह अपने पति की मृत्यु के समय रह रही थी।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया :

एक युवती है, जिसका पति शादी के अनुबंध के बाद और उसके साथ एकांत में होने से पहले ही मर गया। तो वह कहाँ इद्त बिताएगी?

उन्होंने उत्तर दिया : “अपने परिवार के घर में, क्योंकि वह अभी तक पति के घर नहीं गई है।”

“समरात अत-तद्दीन” (पृष्ठ 116) से उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।